तारीख हुक्म

29/6/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचातय पांयला कला में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पांयला कला)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.125 / 2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 डुंगराराम पुत्र हुकमाराम 2.मालाराम 3.मागाराम 4.भवराराम पिसरान रावताराम 5.श्रीमति बगतु बेवा रावताराम 6.जोगाराम पुत्र हराराम जाति कुम्हार निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।		1.फतहसिह 2.निम्बसिह पिसरान लालसिह जाति राजपुत निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 3.जोगाराम पुत्र मोटा जाति प्रजापत 4.मेधाराम पुत्र वगताराम जाति धांसी 5.महत स्वामी रामभारती चेला भोपालभारती 6.हिरा पुत्र पुरखा 7.खुमा पुत्र पुरखा 8.पीरा पुत्र पुरखा 9.प्रतापा पुत्र पुरखा जाति प्रजापत निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार,सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री रामजीवन विश्नोई,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2 पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं.10 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी स.1 से 9 एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश

Scanned by CamScanner

दिनांक—29.6.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 594 व 594/1 कुल रकबा 120—04 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 594 व 594/1 कुल रकबा 120—04 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1से 09 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी सं.10 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 594 व 594/1 कुल रकबा 120—04 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 594 व 594/1 कुल रकबा 120—04 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 594 व 594/1 कुल रकबा 120—04 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2068 से 2071 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थी स.1 से 9 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स.1 से 9 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 594 व 594/1 कुल रकबा 120—04 बीघा** भूमि के सबंध मे सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

29/6/12

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

29/6/12

(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner